67

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R 1368-I-17

रामचरण बडगईया पुत्र स्व. अयोध्या प्रसाद बडगईया आयु 70 वर्ष निवासी बाहरकोट हरिजन बस्ती टीकमगढ म.प्र.

--पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म.प्र.राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक टीकमगढ म.प्र.

--उत्तरवादी

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

महोदय,

पुनरीक्षण के कारण व आधार निम्न प्रकार हैः-

1- यह कि उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता के स्वत्वाधिकार हक मालिकाना एवं कब्जो की कृषि भूमि खसरा नंबर 1053, 1054, 1056 कुल रकवा 0.187 हेक्टेयर स्थित टीकमगढ खास तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र. मे स्थित हैं।

2- यह कि उपरोक्त भूमि के आस-पास रहने बाले व्यक्तियों ने धीरे-धीरे अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और पडोसियो से विवाद न हो इसकारण से एक बैंक चालान एवं खसरा खतौनी की नकल सहित दिनांक 25/05/2016 को एक आवेदन पत्र सीमांकन हेतु तहसीलदार टीकमगढ के यहां दिया था जो उन्होने राजस्व निरीक्षक का क्षेत्राधिकार होने के कारण उनके यहां भेज दिया था।

3- यह कि उपरोक्त मौके पर कोई सीमांकन नहीं किया गया और एक पंचनामा इस प्रकार का फर्जी तैयार किया गया कि उपरोक्त भूमि के चारो दिशाओं मे मकान निर्माण हो गये है

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :--निगरानी--1368--एक/2017 जिला--टीकमगढ़

रामचरण बडगईया विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल, जिला--टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 18/अ--12/2016--17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13--01--2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27--07--2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25--9--2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला--टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11--09--2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	